तारीख हुक्म	FORM No. III Crim - 1 फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज अज अदालत :– जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) विजय श्रीवास्तव **बनाम** लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 42/2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022/70)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07.11.2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील/आरटीआई/2022/597 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र कमांक/संपर्क/सू.अ. /2022/475 दिनांक 12.09.2022 से सूचना सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग धौलपुर से चाही गई। सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग धौलपुर द्वारा अपने पत्रांक 565 दिनांक 12.10.2022 से अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर को भिजवाया जा चुका है तथा अपीलार्थी को समसंख्यक पत्रांक 566–67 दिनांक 12.10.2022 द्वारा सूचित भी किया जा चुका है जिसकी पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर से संबधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र कमांक 565 दिनांक 12.10.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलुपर को भिजवाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलुपर का प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग	

भरतपुर है। अपीलार्थी सबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर